[श्री रामजी लाल सुमन]

मैं यहां गैर हाजिर रहा, मैं उसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

उपसभापति : बस, अब क्षमा हो गई मैंने भी एक्सप्ट कर लिया ।

THE BOARD FOR WELFARE AND PROTECTION OF RIGHTS OF HAN DICAPPED BILL, 1991.

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : उप सभापति महोदया, म प्रस्ताव करता हूं कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित य उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

The question was put and the motion was adopted.

श्री रामजी लाल सुमन : मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

THE NATIONAL; TRUST FOR WELFARE OF PERSONS WITH MENTAL RETARDATION AND CEREBRAL PALSY BILL, 1991.

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानसिक अवसद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक न्यास का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

The question was put and the motion *was adopted.*

श्री रामजी लाल सुमन : मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; Now, I thinkwe had been discussing Assam and it was not completed yesterdaj. We also have special mentions. Could we continue discussion on Assam which is a very serious matter? After that we can take up special mentions.

SHRI M. M, JACOB; Discussion on price rise is being put down everyday. This is the third day that this discussion is becoming a casualty. It is a serious matter and we want to discuss price rise.

THE DEPUTY CHAIRMAN; To discus, all these important matters I think we should expedite our work in the House. I call upon Mr. Chat-uranan Mishra to continue.

1. RESOLUTION APPROVING PRE SIDENTS PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO ASSAM

2. MOTION RECOMMENDING REV OCATION OF THE PROCLAMATION—Coritd.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया,

उपसभापति : जरा जल्दी-जल्दी बोल दीजिए जो भी बोलना है ।

श्री चतुरानन मिश्र : जो भी आप समय दीजिए ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : जो भी बोलें रिलिवेंट ही बोलना चाहिए ।

उपसभापति : उनके लिहाज से तो रिलीवेंट हो होगा, आपके लिहाज से इरिलीवेंट हो सकता है ... (**व्यवधान**) उनके लिहाज से सोचिए ।